5. The Forward Contracts (Regulation) Amendment Bill, 2003.

6. The British Statutes (Repeal) Bill, 2003.

7. Consideration and return of the Appropriation Bills relating to the following Demands, after they have been passed by the Lok Sabha, on 4th February, 2004.

(a) Demands for Grants on Account (Railways) for 20Q4-2OO5.

(b) Supplementary Demands for Grants (Railways) for 2003-2004.

(c) Demands for Excess Grants (Railways) for 2001-2002.

(d) General Discussion on Interim General Budget for 2004-2005 on 4th February, 2004.

(e) Consideration and return of the Appropriation Bills relating to the following Demands, after they have been passed by the Lok Sabha, on 5th February, 2004:-

(i) Demands for Grants on Account (General) for 2004-2005.

(ii) Supplementary Demands for Grants (General) for 2003-2004.

(f) Consideration and return of the Finance Bill, 2004, after it has been passed by the Lok Sabha on 5th February, 2004.

___

MATTER RAISED WITH PERMISSION

Extension of the Winter Session of Parliament after its adjournment *sine die* on 23rd December, 2003

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, with your permission, I would like to draw the attention of the House and the Government to a matter which has been agitating our mind.

Sir, the Winter Session of Parliament began on 2nd December, after being summoned by the President of the Republic under article 85 clause (1). On 23rd December, the House was adjourned *sine die* by the hon. Chairman of the House. And we have been asked, under your orders in Bulletin No. 4167, dated 21st January, to assemble on 30th January. In between, we are hearing that the Lok Sabha is going to be dissolved; Vote on Account is to be approved by the Lok Sabha; there will be a premature termination of the Lok Sabha and the General Elections will take place. I

am unable to understand what prompted the Government to take this decision, keeping everybody in the dark. General Election is not an unusual event. Premature termination of Lok Sabha is also not an unusual event. If I remember correctly, it happened in 1970; it happened in 1977; it happened in 1979. It has happened umpteen number of times; and, as per the parliamentary practice, it is the prerogative of the Prime Minister to decide it. He can recommend to the President the dissolution of the House and the President can dissolve the House, in exercise of the power conferred on him by the Constitution. But what is the rationale behind extending the Winter Session? Approval of the Vote on Account because the full Budget cannot be placed before the House due to General Election, is not an unusual thing. My colleague, Dr. Manmohan Singh, who is sitting on my right, had presented the Vote on Account in 1996. He did not present the full Budget. That was the election year. We have seen it on a number of occasions that the Vote on Account is approved by the Lok Sabha normally in an election year, if the elections are held earlier. If I remember correctly, in 1971, the Vote on Account was approved by Lok Sabha on 27-28th March. It had happened in 1977. The new Government came into existence on 23rd March and the Vote on Account was approved by the Lok Sabha.

Now, the problem is that the Houses are adjourned *sine die* by the respective Presiding Officers. In regard to the prorogation, which is a constitutional requirement, the Presiding Officers of both the Houses have a role to play. My point is that the Government of the day, to fulfil its own political agenda, to serve its own political agenda, has used the offices of the Presiding Officers. What happens normally in the case of prorogation is that after the House is adjourned *sine die* - after a couple of days - the Secretaries-General of the respective Houses enquire from the Government, from the Minister of Parliamentary Affairs, as to when the Government is going to prorogue the House. The President cannot prorogue the House on his own. He requires an advice from the Council of Ministers, from the Prime Minister, as far as the summoning, the prorogation or the dissolution of the House is concerned. If the Government had decided to hold elections, to terminate Lok Sabha prematurely, even then the Houses could have been called after the prorogation in the month of January, or in the month of February, and after taking the Vote on Account, the House could have been dissolved. Heavens would not have fallen. In this case, we are doing away with another constitutional requirement which is under article 87, clause 1. As per that, the President is to address the Joint Session of both

the Houses at the beginning of each year. Mr. Chairman, Sir, there is a little history behind it. Even the very first amendment of the Constitution in 1951 took place on this issue. The original article 87 stipulated that each session of the Parliament was to be addressed by the President. Therefore, after the adoption of the Constitution on 26th January, 1950, when three sessions of the provisional Parliament took place, every session was addressed by the President, and it was pointed out that it is inconvenient. So, the first amendment to the Constitution took place in 1951 for amending article 87 and making a provision that the President will address only the first session of the year, and in an election year, as article 87 requires, the President is to address both the Houses after the new Lok Sabha is constituted. Therefore, the normal practice all these years is that in an election year, the President addresses both the Houses twice, once at the beginning of the year, when the first session takes place, and again when the new Lok Sabha is constituted. We understand that the Government wanted to hold the elections early and for that obvious reason it is the Executive's prerogative, it is the Prime Minister's prerogative to do it. Everybody understands that. But, what is not understandable is, what would have happened if there was a normal session and if the President would have addressed it and if there was a debate on the Address of the President, which is the normal practice. Here the Members get the opportunity of reviewing the functioning of the Government for the whole year which is contained in the statement, in the Address of the Presidentl We are deprived of that opportunity. That statement is not drafted by anybody else other than the Cabinet, and it speaks nothing else but the platitude of the Government. It may provide how India shines, how they feel good, and we have the opportunity to review the performance of the Government.

Mr. Chairman, Sir, especially in this year, it was required because the Winter Session was shortened. Since this Government came to power, from 1998 onwards, if you calculate the number of days of actual sittings, you will find that every time the days of Sessions have been reduced. Those days are gone when Winter Sessions used to be for six weeks, Monsoon Sessions used to be for six weeks and Budget Sessions used to be for more than 12 weeks. This time also, we met in the Winter Session on 2nd of December and we adjourned *sine die* on 23rd December. We are deprived of having the opportunity of reviewing the performance of the Government which is being provided in the Address of the President, and the President is also deprived of addressing the two Houses of Parliament in the election

year twice. He would not have given his own version; he would have given the version, as dictated by the Government.

The third and the most important point is - I charge the Government - that the institutions of Parliament have been mortgaged to the party's interests, to serve the party interests, because the Government was not clear whether it would have early elections, whether it would dissolve Lok Sabha early. It was debated within the ruling party. They waited till 12th and 13th January when their national policy-making Body met. The Houses had been adjourned *sine die* on 23rd December. They could have been adjourned on 27th or 28th We were told and the whole country was told, *No, we are going to meet some times in mid-January, and you will have to wait to know whether we dissolve Lok Sabha, whether the Houses would be prorogued, or not. What is this? We are told not by the Government, not by the Ministry of Parliamentary Affairs, not by the Prime Minister as to when the Houses would be dissolved; but the party General Secretary announced that on such and such date the Lok Sabha would be dissolved; the party General Secretary assumes unto himself the responsibility of declaring what would be the time when elections would be held, to declare the election schedule, though the Lok Sabha has not yet dissolved and the Election Commission has not yet applied its mind. The ruling party's General Secretary tells us that elections would take place on such and such date, the Lok Sabha would be dissolved on such and such date! The presiding officers have a minor role!

As per the practice, as I mentioned, it is the Secretaries-General of the Houses who would assertain from the Ministry of Parliamentary Affairs or from the Leader of the House or from the Prime Minister as to when the Houses would be prorogued, and only after ascertaining this fact the Secretaries-General of the Houses - Secretary-General of Lok Sabha and Secretary-General of Rajya Sabha - send the communication to the Secretary to the President, and not the Cabinet Secretary; not any other Secretary, as in this case.

Therefore, that is the practice which we have evolved. Unfortunately, there is no plausible explanation. I would expect the Government would explain what great difficulties they would have faced had they followed the normal practice? what great inconvenience the country would have faced? In between, we have seen - I am not going into the details because we will get an opportunity of discussing those issues -technically, the House is in session but announcements are made giving

concessions worth thousands of crores of rupees. They may feel happy; they may feel good; they may shine; but, there are certain Constitutional proprieties when the Houses are not prorogued, when a House is adjeurned *sine die,* when the Presiding Officers can summon the Houses at any point of time, then, all these major announcements are not made. But, completely ignoring the fact that the House is in session, major announcements have been made! Normally, the Ministers do not make any major announcements even on Saturday or Sunday. Mr. Chairman, Sir, you will recollect that even in a short recess period or weekend holidays - Saturday and Sunday or even if there be a holiday - no major announcement is made by any Government.

You are claiming that since the Parliament is in session there is no need of issuing any summons, and that there is no need of application of article 87(1) because the Presiding Officers are calling the Session. But announcements are made completely ignoring that fact Therefore, I demand from the Government an explanation on this issue.

Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity.

MR. CHAIRMAN: Mr. Basu, you will keep the time in mind.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal) : Yes, Sir. I will be very, very brief and not attract your* looks. Sir, I could not agree with the very eloquent Constitutional and procedural argument advanced by my senior colleague Shri Pranab Mukherjee. Sir, I would just like to point out another incongruity in which we indulged just now. I agree with Mr. Ahluwalia that I have no problem. Hundreds of times I can stand when the National Anthem is being played. But it has been a well-established convention in this Parliament that we start the Session, the new Session, with the playing of the National Anthem. The Government is taking a position that this is a continuation of the Winter Session. But we started with the National Anthem. I have no problem with that. But I am saying how the confusion is working. Sir, I will add just one political point. Not only is the BJP damaging the institution of Parliament but it is also damaging the credibility of the Prime Minister. Two days back, the whole nation has seen on print and in the electronic media the spokesperson of the BJP saying that 'we did not prorogue the House because we had made up our mind that we are going to prepone the election.' Sir, I would want you to go back to those

* Not recorded.

days when the Prime Minister, as pointed out by Mr. Pranab Mukherjee, till the end of the second week of January, was violently refuting any suggestion that election is going to be preponed. So, if that is true, who is telling the truth? The Government has to share this information, when did it make up its mind and why is it playing with the institutions? The Government is bound to come with this explanation because through this House the nation will have to be informed why such major Constitutional improprieties have been committed.

श्री सुरेश पचौरी(मध्य प्रदेश)**:** सभापति महोदय**...**

श्री सभापति: नहीं। अब नहीं।

श्री सुरेश पचौरी: सभापति महोदय, मैं केरल एक मिनट में यह बात कहना चाहूंगा कि यह सरकार सविंधान के हिसाब से काम न करके ज्यातिषियों की सलाह पर काम पर रही हैं।**...**(व्यवधान)**...**

श्री सभापति: चलिए बैठिए।*...(Interruptions)...* I will not allow. *...(Interruptions)...*

श्री सुरेश पचौरी: श्री प्रमोद महाजन इलेक्शन कमिशनर बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं और ब्रिज़ाइडिंग आफिसर बन गए हैं।

श्री सभापति: नहीं , नहीं। यह गलत बात हैं।

श्री सुरेश पचौरी: इसलिए वे ऐनाउंसमैंट कर रहे हैं, सारी घोषणांए कर रहे हैं।

श्री सभापति:बैठ जाइए। **....**(व्यवधान)**...**एक मिनट ठहर जाइए। श्री बसु, मैंने आपको समय दिया, दिया न और न आपने मुझको * बताया ?

श्री नीलोत्पल बसु: सर, हम कभी भी नहीं बता सकते, लेकिन अगर हम समय पर खत्म न करते तो आप जरूर* लुक देते।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka) : Sir, the issue is *...(Interruptions)...* Sir, Nilotpal Basu is a senior Member. *...(Interruptions)...* He also understands the nuances. *...(Interruptions)...* My request is, you please withdraw this word because you said, 'Sir, I do not attract your *
lOOkS.' अपने वुज किया ना

श्री सभापति:चलिए, कोई बात नहीं।

---

* Not recorded.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: So, according to you, the Chairman is*. *...(Interruptions)...* Then do not make such * comments.

श्री नीलोत्पल बसु: सर, इतने दिन यहां रहने के बावजूद भी और रूलिंग पाटी का अध्यक्ष बनने के बाद भी अगर पार्लियामेंट्री न्यूआन्स और बेंटर ये नहीं समझते तो हम विदड्रा करते हैं । SHRI

M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I only suggest that he may withdraw this word. कुछ मर्यादा होनी चाहिए ।

SHRI NILOTPAL BASU : The sense of humour is a problem. *...ilnterruptions)...* I withdraw my word. *...{Interruptions)...*

श्री सभापति:चलिए छोड़िए ।...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु: अगर यह सैंस आफ हयूमर बीजेपी पाटी के अध्यक्ष का होगा तो न जाने इस पार्टी की क्या स्थिति होगी ।...(व्यवधान)...

श्री सभापति:मेरी बात सुनिए । एक मिनट मेरी बात सुनिए ।....(व्यवधान)...देखिए, यह सैंसे आफ हयूमर में कहा हैं ।...(व्यवधान)...

SHRI BALBIR K. PUNJ (Uttar Pradesh) : He Is in search of a * sense of humour. *...(Interruptions)...* .

श्री सभापति:एक मिनट ठहरिए ।...(व्यवधान)....आप एक मिनट बैठिए तो सही । ...(व्यवधान)...आप बैठ जाइए, मुझे कहने दीजिए । मैं इतना ही कह रहा हूं कि इन्होंने हयूमर में कहा है लेकिन इस प्रकार का शब्द अगर रिकार्ड मे जाता है तो इसके कई अर्थ निकल सकते है, इसलिए यह शब्द रिकार्ड से हटा दिया जाए ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रि (श्री मती सुषमा स्वराज): सभापति जी, आदरणीय प्रणव मुखर्जी जी ने एक संवैधानिक मुद्दा सदन के सामने रखा है, जिसके समर्थन में कुछ बात नीलोत्पल जी ने कही । सबसे पहले तो मैं प्रणब मुखर्जी जी की एक बात पर आपत्ति करती हूं कि इन्होंने कहा – The Government will not offer and cannot offer any plausible explanation, to बिना गवर्नमेंट का पक्ष सुने,दादा, आपने यह बात कह दी । I think I will offer not only a plausible but also a very rational explanation to the whole thing.

सभापति जी दो मुद्दे उभरकर आए हैं । पहला, हमने सत्र का अवसान क्यों नहीं किया, हमने हाऊस प्रोरोग क्यों नहीं किया? दूसरा, हमने हाऊस प्रोरोग न करके और सदन की बैठक पीठासीन अधिकारी के माध्यम से बुलाकर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से सांसदों को वंचित रखा और राष्ट्रपति जी को भी वचिंत रखा है । ये दो मुद्दे प्रमुखता से उभरकर सामने आए हैं । सभापति जी,जहां तक...(व्यवधान)...

*Not recorded.

SHRI RAJU PARMAR (Gujarat) : Sir, the General Secretary of the BJP made major announcements..*(Interruptions)...*
श्री सभापति:बोलने दीजिए ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने कहा कि ये दो मुद्दे प्रमुखरता से उभकर सामने आए हैं । मैं आपके मुद्दों का भी जवाब दूंगी लेकिन प्रमुख रूप से ये दो मुद्दे हैं । सभापति जी, उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रपति जी के आदेश के बिना, पीठासीन अधिकारी के माध्यम से सदन की बैठक बुलाकर उनके पद का दुरूपयोग किया है, we have misused the Office of the Presiding Officer, प्रणव दा, मैं अब आपके सामने क्या रखूं ?

सभापति जी, एक बार नहीं, बल्कि तीन-तीन बार जब उनकी सरकार थी, उनके प्रधानमंत्री थे,उन्होंने हाऊस 75-75 दिन प्रोरोग न करके पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से सदन की बैठकें बुलाने का काम किया, तब संविधान की अवमानना नहीं हुई ?

श्री जनेशवर मिश्र (उत्तर प्रदेश): उसी की नकल कर रही है आप ?

श्री मती सुषमा स्वराज : मैं नकल नहीं कर रही हूं । जनेश्वर जी, सुनिए , मैं उसी पर आ रही हूं ...(व्यवधान)....

श्री जनेशवर मिश्र: कांग्रेस की बुराइयों की नकल आप कर रही हैं ।

श्री मती सुषमा स्वराज: मैं नकल नहीं कर रही हूं, इसीलिए मैं कह रही हूं ...(व्यवधान)...यह बात मैं कहती भी नहीं, यह कागज हाथ में उठाती तक नहीं अगर उन्होंने यह न कहा होता कि सदन की बैठक आपके माध्यम से बुलाकर हमने आपके पीठासीन अधिकारी के पद का दुरूपयोग किया है...(व्यवधान)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal) : She is misleading the House ...*(Interruptions)...*This is not the correct point...*(Interruptions)...*

श्री सभापति:देखिए, यह गलत बात है....(व्यवधान)...मंत्री महोदया बोल रही हैं, उनको बोलने दीजिए । आपको फैसला नहीं करना है कि करेक्ट प्वाइंट क्या हैं ?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: She has already told this outside the House...*(Interruptions)...*I have only a point...*(Interruptions)...*She has told this House...*(Interruptions)...*Seventy-five days issue is known to all of ...*(Interruptions)...* Everything has been told outside ...*(Interruptions)...*

श्री सभापति: बोलिए ।

श्री मती सुषमा स्वराज : सभापति जी, जैसा मैंने कहा कि अगर प्रणब बाबू यह बात न कहते तो मैं यह पूर्व उदारण न देती ।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Just one second. You kindly give the example because I myself gave the rationality of the first 'prolong', which was in 1950, when the Winter Session extended up to 1951. I gave the

explanation as to why it had happened. The second time was during the Chinese War in 1962 when both the Houses were prolonged. And, the only third time was in 1987. But for God's sake please remember that except during the First Session in the provisional Parliament it never happened that both the Houses have been extended beyond the calendar year, except during the Chinese War in 1962.

श्री मती सुषमा स्वराज: प्रणब बाबू, आप अपना तर्क बदल रहे हैं । आपने यह कहा था कि हमने राष्ट्रपति के बजाय पीठासीन अधिकारी के माध्यम से सदन की बैठक बुलाकर उनके पद का दुरूपयोग किया है, अभी मैं उसका जवाब दे रही हूं, अभी मैं एक्सटेंडेंट सेशन पर नहीं आई हूं । तीन बार 1987,1989 और 1990 में 75 दिन, 53 दिन, 27 दिन हाऊस प्रोरोग न करके पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से हाऊस की बैठक बुलाई गई, अभी मैं केवल उसका जवाब दे रही हूं । मैंने कहा कि चूंकि पूर्व उदाहरण उपस्थित हैं, लेकिन केवल प्रिसिडेंट क्वोट करके, केवल पूर्व उदाहरणों का हवाला देकर मैं अपने निर्णय का औचित्य ठहराने के लिए खड़ी नहीं हुई हूं । मैं आपना निर्णय अपने स्वतंत्र तर्को पर उचित ठहराने के लिए खड़ी हुई हूं ।

सभापति जी, मुझसे पूछा गया कि हमने सत्र का अवसान क्यों नहीं किया ? मैं बिना शब्द चबाए और बिना संकोच के यह कहना चाहती हूं कि हमने सत्र का अवसान इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने पुनः जनादेश लेने का मन बना लिया था, हमने लोक सभा भंग करके चुनाव कराने का निर्णय कर लिया था । यदि लोक सभा 31 मार्च से पहले गठित की जा सकती तो हम सीधे लोक सभा भंग करते, चुनाव में चले जाते और सदन की बैठक नहीं बुलाते लेकिन चूंकि जिस तरह का टाईम-टेबल बन रहा था, उसके मुताबिक 31 मार्च से पहले 14 वीं लोग सभा के गठन की संभावन नहीं हैं और आप जानते हैं कि एक अप्रैल को राजकोष से एक भी पैसा निकाला नहीं जा सकता । इसके कारण देश में एक आर्थिक संकट खड़ा न हो जाए। इसलिए हमारे लिए वोट ऑन एकाउंट लेना जरूरी था...(व्यवधान)...प्रणब दा. आप स्वंय फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं,आप पीछे वालों को बताइए ।

श्री सभापति:माननीय सदस्यों, यह बहुत गंभीर मैटर है, इसको सीरियसली लेना चाहिए । इसलिए सीरियसली इसको सुनिए ।

श्री मती सुषमा स्वराज: प्रणब दा, आप स्वयं वित्त मंत्री रहे हैं, आप जानते हैं कि अगर 31 मार्च तक नयी लोक सभा गठित नहीं होती तो आप राजकोष से एक भी नया पैसा निकाल नहीं सकते । इसके लिए वोट ऑन एकाउंट जरूरी था । अब हमारे पास दो विकल्प थे । एक विकल्प-कि हम हाउस प्रोरोग नहीं करके आपके माध्मय से सदन की बैठक बुला लें और वोट ऑन एकाउंट ले लें या दूसरा विकल्प, जिसका जिक्र प्रणबदा ने किया कि हम हाउस प्रोरोग कर देते, वर्ष 2004 का नया सत्र बुला लेते, महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण कराते और फिर उसके बाद लोक सभा भंग करते । अब मैं इसका जवाब देती हूं । सभापति जी , राष्ट्रपति जी का अभिभाषण उनका स्वंय का भाषण नहीं होता । राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का नीतिगत दस्तावेज होता है । प्रणबदा सरकार में रहे हैं, बहुत बार वह भाषण उन्होंने तैयार किया होगा । वह भाषण सरकार तैयार करती है, केबिनेट उसका अनुमोदन करती है, महामहिम राष्ट्रपति जी

के मुखारबिन्द से वह केवल पढ़ा जाता है ।वे न उसमें एक शब्द घटाते और न जोड़ते है, न उसमें अपनी सलाह डालते हैं । सभापति जी, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति:बोलने दीजिए ।

श्री मती सुषमा स्वराज: अगर मैंने इसमें कुछ भी गलत कहा हो तो बोलें, मैं केवल तथ्य कह रही हूं ।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बोलने दीजिए ।

श्री मती सुषमा स्वराज: मैं केवल तथ्य कह रही हूं । अगर मेरे तथ्य गलत है तो बतला दें । मैंने जो कुछ अभी तक कहा है उसमें मासा रत्ती भी गलत है तो बतला दें । सरकार तैयारी करती हैं ।...(व्यवधान)....

श्री सभापति: यह नहीं चलेगा । माननीय सदस्य इस तरह से इंटरप्ट नहीं कीजिए ।

श्री मती सुषमा स्वराज: मैं अपने आरग्यूमेंट पर बतला रही हूं । आप सुनेंगें तो बताऊंगी न । मेरा आरग्यूमेंट क्या है मैं बतला रही हूं ।

श्री नीलोत्पल बसु: हम सुन ही तो रहे हैं । ....(व्यवधान)....

श्री मती सुषमा स्वराज: मेरा जो आरग्यूमेंट है वह मैं बतला रही हूं, आप सुनें तो सही । बीच-बीच में डिप्पणी होगी तो मेरा आरग्यूमेंट कैसे सुनेंगे ।....(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु : शॉर्ट में बतला दीजिए ।

श्री मती सुषमा स्वराज: आपको लौंग में सुनूं और मैं शॉर्ट में बोलूं, यह तो कोई बात नहीं हैं । आपके चार-चार सुनू, मैं अकेली बोलूं, तो भी आप सुनेंगे नहीं ।...(व्यवधान)...

श्री सभापति:बोलने दीजिए न उनको ।

श्री दीपांकर मुखर्जी: पार्लियामेंट के बाहर बोल लीजिएगा ।

श्री मती सुषमा स्वराज: पार्लियामेंट के बाहर आप भी बोलिए । पार्लियामेंट के बाहर बोलने का कंपसेशन सदन से करेगें ।

श्री सभापति:आप तो बोलिए ।

श्री मती सुषमा स्वराज : सभापति जी, वे पूछ रहे हैं मेरा आरग्यूमेंट क्या हैं । मेरा आरग्यूमेंट यह है कि जब वे मेरी सरकार की उपलब्धियां- यह सारा भाषण करने के बाद एक आखिरी पैरा भी पढ़ते हैं । मैं पुराने तीन भाषण लाई हूं 2003,2002 और 2001 का । 2001 का भाषण पढ़ती हूं । इसका आखिरी पैरा क्या होता है- माननीय सदस्यगण, आज बजट सत्र प्रारम्भ हो रहा है । इस सत्र में रेलवे और आम बजट से सम्बन्धित वित्तीय एजेंडा के साथ-साथ बड़ी मात्रा में विधायी कार्य को पूरा किया जाना है ।" यह पूरा देकर वे कहते है कि मैं आपके प्रयासों की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और बजट सत्र में जो काम होता है उसका जिक्र करता हूं । सन् 2002 मे कहते हैं कि माननीय सदस्यगण, आज आप बजट सत्र शुरू कर

रहे हैं ।रेल तथा आम बजट से सम्बन्धित वित्तीय कार्यो के अलावा पर्याप्त विधायी कार्य करने हैं ...(व्यवधान)...सभापति जी, वे बोलने नहीं दे रहे हैं ।

SHRI MOTILAL VORA (Chhattisgarh): We all know this. *..{Interruptions)...*

श्री सभापति:आप बैठ जाइए, इसमें परेशानी क्या हो रही है आपको सुनने में । मैं यह एलाउ नहीं करूंगा । ...(व्यवधान)...आप बैठ जाइए । बोलिए-बोलए।...(व्यवधान)...

SHRI N. K. PREMACHANDARAN (Kerala): We all know what the President's speech was. ... *(Interruptions)...*

श्री मती सुषमा स्वराज: सभापति जी, अब इनमें इतना धैर्य नहीं । मेरा यह कहना हैं कि इस पूरे भाषण में सरकार की उपलब्धियां बताने के बाद वे यह कहते हैं कि इस बजट सत्र में यह- यह काम है और इस बजट सत्र में यह विधायी काम होना हैं । वे यह बताते हैं । हम इस बार बजट नहीं ला रहे हैं । ...(व्यवधान)... स्व-वोट का जवाब दे रही हूं न । हम ला रहे थे वोट ऑन एकाउंट ।...(व्यवधान)...

श्री सभापति:माननीय सदस्यगण, ज्यादा अच्छा होगा कि ....(व्यवधान)..

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड): सभापति महोदय, यह पहला दिन हैं । अगर इसी तरह का रवैया हुआ तो आगे तीन दिन उन्हें भी बोलना हैं ।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बेठिए ।...(व्यवधान)...बस हो गया । ...(व्यवधान)...बैठ जाइए । .....(व्यवधान)...अगर मुझसे बिना पूछें बोलेंगे तो रिकार्ड पर नहीं जाएगा । बैठिए, बैठ जाइए ।...(व्यवधान)...मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही गंभीर मसला हैं । आपने गंभीरता से इस मामले को उठाया है । मैं चाहता हूं कि...(व्यवधान)...आप लोग बैठ जाइए।....(व्यवधान)...आप बैठिए । बीच में...(व्यवधान)....मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस गंभीर विषय पर सरकार का जो पक्ष है, उसको रखने का मौका और गंभीरता से सुनने का मौका इस हाउस को नहीं खोना चाहिए । यह जो बोल रही हैं, मान लीजिए कोई रैपीटीशन भी होता हो, तो कई चीजों के लिए आप जानते हैं कि भाषण में रैपीटीशन भी करना पड़ता है,वह भी आवश्यक होता है । पुराने उदाहरण देने पड़ते हैं, वह भी करना पड़ता हैं ।...(व्यवधान)...यह होता है, मैंने सबके भाषण सुने है, कइयों के भाषण तो रैपीटीशन से ही चलते हैं ।क्या बात कर रही हैं ? ...(व्यवधान)...आप बैठ जाइए ।...(व्यवधान)...कोई धमकी किसी को नहीं दी हैं ।...(व्यवधान)..आप बैठ जाइए । कोई धमकी नहीं दी हैं । आप बैठ जाइए । ....(व्यवधान)..यह रिकार्ड पर नहीं जा रहा । कोई धमकी नहीं दी हैं । आप सुनिए । बैठ जाइए । मैं इतना कह सकता हूं कि हाउस में धमकी देकर किसी को बोलने दें या नहीं बोलने दें, यह मेरी जिम्मेदारी है, आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए । आप बैठ जाइए ।...(व्यवधान)...कोई धमकी नहीं दी हैं । मैं नहीं मानता कि धमकी दी हैं...(व्यवधान)...इस हाउस में...(व्यवधान)...आप मुझे बता रहे हैं, मुझे हाउस में बैठे दो वर्ष हो गए है । कई मैंबर्स बोलते हैं, "अब बोलिए, हम तुमको नहीं बोलने देंगे । इस तरह की बातें पार्लियामेंट में रोज चलती हैं । उन बातों को लेकर आप इतना उत्तेजित हो जाएं, यह मैं आपसे अपेक्षा नहीं करता । आज कम से कम मार्टीयर्स डे हैं, उस दिन तो हमें इस प्रकार का परिचय देना चाहिए कि हाउस गंभीरता से गंभीर बातें

सुनता है और सुनकर उसी प्रकार से उनका अनुपालन करता है । मैं समझता हूं कि ऐसा आगे नहीं होगा ।

श्री सुरेश पचौरी: सभापति जी, हम अहलुवालिया जी की पीड़ा को समझते हैं कि जाती-जाती सरकार में भी वे मंत्री नहीं बन पाए हम उनकी पीड़ा का अहसास कर सकते हैं ।

श्री सभापति:मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की सहानुभूति अहलुवालिया जी के साथ है । वे जीतकर आएं और मंत्री बने ये आपकी शुभकामनाएं हैं ।...(व्यवधान)...

श्री मती सुषमा स्वराज: मैं यह कह रही थी कि इस बार हम बजट पेश नहीं कर रहे थे, वोट ऑन अकाउंट ला रहे थे । इस अंतिम पैराग्राफ में महामहिम राष्ट्रपति जी क्या पढ़ते कि मेरी सरकार वोट ऑन अकाउंट ला रही है क्योंकि उन्होंने लोक सभा भंग करके चुनाव में जाने का निर्णय किया है, मैं आप सबको जीत की शुभकामनाएं देता हूं ? सभापति जी, आज जो लोग हम पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने राष्ट्रपति जी का अभिभाषण नहीं पढ़वाया, अगर यह पैराग्राफ राष्ट्रपति जी पढ़ते तो ये लोग हम पर यह इल्ज़ाम लगाते कि हमने चुनावी बिगुल महामहिम राष्ट्रपति जी के मुखार्विन्द से करवाया । तब ये लोग हम पर यह इल्जाम लगाते कि हमने अपना चुनावी बिगुल राष्ट्रपति जी से...(व्यवधान)...

श्री सभापति:आप आरोप नहीं लगाते, बहुत अच्छी बात है।...(व्यवधान)...

श्री मोती लाल वोरा: राष्ट्रपति जी कैसे कहते कि मैं शुभकामना करता हूं ?..(व्यवधान)...

श्री सभापति:देखिए आप जैसे बुजुर्ग...(व्यवधान)...नहीं कहते । माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए ।...(व्यवधान)...बार बार खड़े होकर हाउस में इम्प्रेशन देना चाहते हैं, वह नहीं होगा ।

श्री मती सुषमा स्वराज: हमने पूरा सोच-समझकर, विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय किया कि चुनावी दंगल से महामहिम राष्ट्रपति जी के पद को ऊपर रखना चाहिए । हमने लोकतंत्र की मर्यादा का पालन किया । अखाड़ा हमने और इनमें लगे, हम जनता के बीच जांए, हम अपनी उपलब्धियों का बखान करे और ये हमारी काट करें, जनता फैसला करें यह लोकतंत्र की शोभा बढ़ाता हैं । लेकिन महामहिम राष्ट्रपति अपने मुखार्विन्द से हमारी सरकार के चुनाव की घोषणा करें, इस उलझन में न डालने के लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को ऊपर रखा, चुनावी दंगल की उलझन से उन्हें अलग रखा । ...(व्यवधान)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, this is a drama, not a reply to the Constitutional points. *...(Interruptions)...* This is a Constitutional question. It has to be replied.

श्री सभापति: यह उनका कहना है । (व्यवधान)...आप बैठिए, यह उनका कहना है ।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मेरी अपेक्षा तो यह थी, चाहिए तो यह था ....(व्यवधान)....

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, this is not a Constitutional reply. *...(Interruptions)...*

श्री सभापति:यह क्याबात कर रहे हैं आप?...(व्यवधान)....

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Who is dramatising the issue? .. *...{Interruptions)...* Who is dramatising the issue? *...(Interruptions)...No* point has been answered*...(Interruptions)...*

श्री सभापति:बस कह दिया आपने, प्वाइंट रेज़ कर दिया है। बैठिए...बैठिए।

श्री मती सुषमा स्वराज: सभापति जी, चाहिए तो यह था कि ये इस कृत्य के लिए हमारी सराहना करते, हमारी प्रशंसा करते लेकिन ये हमें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि यह निर्णय लेकर हमने कोई गलती नहीं की, संविधान की अवमानना नहीं कि बल्कि भारत के संसदीय लोकतंत्र में एक नई परम्परा, उच्च परम्परा और स्वस्थ परम्परा कायम की हैं।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, is this a Constitutional reply? No point has been answered. Hon. Pranab Mukherjee is a senior Member of Parliament... *(Interruptions)...* No point has been answered.. ... *(Interruptions)...* Sir, you have to protect us... *(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Reply has been given. Please take your seat. *..(Interruptions)...*

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, a Parliamentary debate cannot be bypassed like that...*(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

THE INTERIM BUDGET (RAILWAYS) 2004-05

MR. CHAIRMAN: Now, the Interim Budget (Railways) 2004-05.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): Sir, I beg to lay on the Table a Statement (in English and Hindi) of the Interim Budget (Railways) for the year 2004-05.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal) : Sir, you have to protect us. The reply has not come. It is a Constitutional question which has not been addressed. It is a dramatic *reply...(Interruptions)...* Sir, if it is a reply to the question, then,' we have also seen this Budget on TV. What is the necessity for Parliament to pass it? सर,यह बजट आ चुका हैं। यह बजट भी मीडिया में आ चुका हैं।... *(Interruptions)..*,